

‘राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मैडल वनिरस रूल्स, 2017’ में संशोधन को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

25 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मैडल वनिरस रूल्स, 2017’ में संशोधन को मंजूरी दी।

प्रमुख बढि

- इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी, जो राजस्थान के मूल निवासी हों, को पदक जीतने पर पे प्रोटेक्ट करते हुए समान वेतन पर राज्य में नियुक्ति दी जा सकेगी।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेल एवं खिलाड़ियों के उन्नयन की दशा में किये गए इस नरिणय से पदक वजिता खिलाड़ी समान वेतन पर अपने गृह राज्य में नौकरी करते हुए बेहतर रूप से अभ्यास कर सकेंगे तथा अपनी खेल प्रतभा को और नखार सकेंगे।
- गौरतलब है कि मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर पदक वजिता 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इन पदक वजिताओं को ‘राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मैडल वनिरस रूल्स, 2017’ के तहत उनकी प्रथम वरीयता अनुसार आनुपातिक रूप से वभिगों का आवंटन कया गया था।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/-rajasthan-out-of-turn-appointment-to-sports-medal-winners-rules,-2017-approved>